website

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्याः– 10/2018–19

दिनांक

अल्पकालीन निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत एंव विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्रदत्त 'क' श्रेणी लाईसेन्स धारक फर्मो से निम्न कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जानी हैः–

क.सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य (रू0 में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	आगरा शहर में विभिन्न स्थानों पर 07 नग सबमर्सिबल पम्प एंव पानी की टंकी लगाने का कार्य।	8.09	16,200/–	560/–	01 माह	E	वि.यॉ

नियम व शर्तेः–

1– उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 06.07.2018 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें मुख्य अभियंता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 06.07.2018 को अपराह् 3:00 बजे तक डाली जा सकेगी तथा उसी दिन निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3:30 बजें खोली जायेगी।

2– निविदा प्रप्त्र अधिशासी अभियंता (वि0/यॉ) कार्यालय से दिनांक 27.06.2018 से 05.07.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

3– वांछित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की FDR/NSC के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियंता (वि0/यां) के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबंद कर दी जायेगी।

4– निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की स्थिति का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियंता (वि0यॉ) से कर ले । निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता का कोई भी पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगी।

5– निविदा की दरें शब्दों एंव अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

6– निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी.सी–2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।

7– सभी निविदादाताओ को श्रम विभाग, जी.एस.टी एंव अन्य कोई विभाग (जहॉ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

8– निविदादाता कम्पनी का कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रश्नगत निविदा प्रकिया मं भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वय पार्टनर है न ही निदेशक है, तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पत्नी एंव भाई आदि भी प्रश्नगत निविदा प्रकिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नही है अथवा प्रश्नगत निविदा प्रकिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नही है।

9– विद्युत सम्बन्धी कार्य उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगे।

10–निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

मुख्य अभियंता

पत्रांक : 380/डी/सी.ई/2018–19,

दिनांक : – 23-06-2018

प्रतिलिपि :–

1–उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2–सचिव/वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अधीक्षण अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–अधिशासी अभियन्ता ई–टेन्डरिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह बेवसाइट पर प्रकाशित करायें।
5–जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपयां इसे वेव साइट एवं दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायें।
6–समस्त अधि0अभि0 अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत अधि0 अभि0 ई–टेन्डरिंग को भिजवायें।
7–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner